न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी – श्री रामकिशन सोनी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 46 / 2011

प्रार्थीगण

1– चनणीदेवी पत्नी हरू उर्फ हरिया
2– किशनलाल पुत्र हरू उर्फ हरिया
3– शांयती पुत्री हरू उर्फ हरिया
4– बाबू पुत्री हरू उर्फ हरिया
5– सोहनी पुत्री हरू उर्फ हरिया
कौमयान–विश्नोई, साकिनान–
चौरा, तहसील – सांचौर
जिला – जालोर (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण

1– हरू उर्फ हरिया पुत्र सरदारा विश्नोई
2– भारमल पुत्र सरदारा विश्नोई
3– हीरा जोजे खेराज विश्नोई
4– बाबू पुत्र खेराज विश्नोई
5– हरचन्द पुत्र काना विश्नोई
6– बाबूलाल गोद कोला विश्नोई
7– हुकमा पुत्र लूम्बा रेबारी
8– नारणा पुत्र लूम्बा रेबारी
साकिन अप्रार्थी संख्या 3 व 4– मालवाड़ा, अन्य चौरा, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर (राज.)
9– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर
10– उपपंजीयक अधिकारी कार्यालय सांचौर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

उपस्थिति–
1– प्रार्थीगण वकील श्री सदराम विश्नोई उपस्थित
2– अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री बाबूलाल पालड़िया उपस्थित
4– अप्रार्थी संख्या 9 व 10 राज पैरोकार उपस्थित

निर्णय

दिनांक – 18/05/2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण नें अप्रार्थीगण के विरूद्ध खातेदारी हकों की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश कर साथ में उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि हम सभी अप्रार्थी संख्या एक हरू उर्फ हरिया की संतान एवं पत्नी है। अप्रार्थी संख्या दो सगा भाई है। अप्रार्थी संख्या पांच व छह भाई के पुत्र है। अप्रार्थी संख्या ती[illegible] सहखातेदार है। हमारी पुश्तैनी भूमि गांव चौरा, भादरूणा व मालवाड़ा में आई हुई है। [illegible] चौरा की सीमा एक होनें से दोनों गांवों में भूमि है। यह तमाम भूमि हमारे [illegible] दादा सरदाराजी के समय की है। अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा क्रय की गई नहीं [illegible] के पुराने खेत खसरा नम्बर 331 रकबा 38 बीघा 13 विस्वा सरदारजी के पुत्र कैगलू, हरिया, भारमल के

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी), सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.05.30 17:23:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

[illegible] दर्ज थी, जिसके नये सर्वे में खसरा नम्बर 569, 570, 571, 572 बने। जिसमें से [illegible] 571 आज भी हरिया, भारमल, पिता सरदार के नाम दर्ज है और खसरा नम्बर [illegible] अदला-बदली कर फर्जी से हरिया के नाम करवाई है। ग्राम भादरूणा के खेत खसरा नम्बर 1143 व 1143/1918 कुल रकबा 2.76 हैक्टर भूमि हरिया के नाम 1/4 हिस्सा है। इसी प्रकार मालवाड़ा में भी 11.71 हैक्टर भूमि है। संयुक्त खातेदारी के रूप में 4/5 हिस्सा है, हरचन्द पुत्र कामा, बाबू गोद कोला, हरिया, भारमल पिता सरदारा के नाम दर्ज है। शेष 1/5 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 3, 5 के नाम दर्ज है।

इस प्रकार उक्त वर्णित पुश्तैनी भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक हरू उर्फ हरिया पिता सरदारा परिवार के मुखिया ट्रस्टी जैसा है। परन्तु अप्रार्थी संख्या एक काफी समय से घर छोड़कर अनैतिक जीवन जी रहा है। घर, परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़कर घर से बाहर अनुचित ढंग से अन्य परिवारों के साथ निवास कर रहा है और उनके बहकावे में आकर खातेदारी भूमि का बेचान करना चाहता है व अपनें पुश्तैनी जमीन में अपनें पुत्र व पुत्रियों को कोई हिस्सा नहीं देना चाहता। प्रार्थी संख्या एक आज से 45 वर्ष पूर्व अप्रार्थी संख्या एक के साथ विवाह के समय से ही रहकर उपरोक्त वर्णित भूमि पर उनके साथ-साथ उसका भी कब्जा चला आ रहा है। अन्य प्रार्थीगणों का भी कब्जाकाश्त है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति पर गौर कर अप्रार्थी संख्या एक को अपनें नाम खातेदारी भूमि के बेचान पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें, साथ ही शपथपत्र, मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दिया प्रस्तुत की है।

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर कार्यालय टिप्पणी की जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया और दिनांक 28.03.2011 को पैरा संख्या एक में वर्णित भूमि ग्राम चौरा, भादरूणा एवं मालवाड़ा पर अप्रार्थी संख्या एक अग्रिम तारीख पेशी तक बेचान नहीं करें। मौके पर राजस्व रैकर्ड की यथास्थिति बनाये रखनें की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई एवं अप्रार्थीयान को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक हरू उर्फ हरिया की तरफ से जवाब प्रस्तुत किया गया और बताया कि पैरा संख्या एक में वर्णित भूमि उसकी स्वयं की क्रयसुदा खातेदारी भूमि है एवं स्वयं के कब्जाकास्त की भूमि है, पुश्तैनी भूमि नहीं है। उसकी पत्नी एवं बच्चों नें उसको जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया और भूमि पर अपना अधिकार कर लिया। जबकि फसल उसी नें बोई है, पुरानें राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि सरदारा के नाम कभी नहीं रही। शुरू से ही अप्रार्थी संख्या एक के नाम भूमि रही है। इस प्रकार यह भूमि पुश्तैनी नहीं होकर उसके स्वयं की खरीदसुदा भूमि है। जिसको बेचान का अधिकार अप्रार्थी संख्या एक को है। 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का जवाब प्रार्थीयान की तरफ से भी दिया गया और अपनें मूल प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराकर यह निवेदन किया कि हमारे हितों की रक्षा की जावे। अप्रार्थीयान नें अपनें जवाब के साथ जमाबन्दी एवं मिसल बन्दोबस्त, खतौनी बन्दोबस्त, मिलान क्षेत्रफल आदि की नकलें पेश की गई, जो शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थीयान की तरफ से आदेश 26 नियम 9 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया और कब्जे की रिपोर्ट मांगनें बाबत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अप्रार्थीयान नें जवाब पेश कर मामला अनावश्यक लम्बा करनें हेतु मौका रिपोर्ट तलब की जा रही है, न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, जो शामिल पत्रावली है। दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

मैनें पत्रावली पर उपलब्ध दोनों पक्षों के दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और योग्य अधिवक्ताओं की बहस एवं कानूनी बिन्दुओं पर मनन किया। राजस्व रिकॉर्ड से यह पाया कि भूमि जो पैरा संख्या एक में वर्णित है, तीनों [illegible] णा एवं मालवाड़ा की प्रथम सैटलमेंट से ही हरू उर्फ हरिया के नाम दर्ज [illegible] नें क्रय की है। प्रार्थीयान के दादा सरदारा के नाम भूमि कभी [illegible] राजस्व रैकर्ड से यह साबित होता है कि भूमि शुरू [illegible] ही कब्जाकाश्त एवं खातेदारी की भूमि है। कुछ भूमि हरिया नें क्रय की है। इस प्रकार विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या एक की स्वअर्जित होनें से अप्रार्थी संख्या एक को [illegible] पनें स्वअर्जित भूमि के उपयोग,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.05.30 17:23:30 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर, सांचोर
[उप खण्ड अधिकारी, सांचोर]

Scanned with CamScanner

उपभोग एवं खातेदारी अधिकारों के उपयोग से वंचित करना न्यायसंगत नहीं है। ऐसे तो सभी पुत्र अपनें पिता की संपत्ति पर कब्जा जमाकर पिता को जीवनयापन करनें से महरूम कर देंगे। जो सामाजिक व्यवस्था के विपरीत होगा।

मैनें पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया। अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र निस्तारण करनें से विधि के द्वारा सुस्थापित सिद्धान्त प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दुओं पर विश्लेषण करना होगा, जिसके परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार विवेचन है –

प्रथम दृष्टया मामला

वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के दादा के नाम की हो, तत्पश्चात हरू उर्फ हरिया को जरिये उत्तराधिकारी प्राप्त हुई हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण नें पेश नहीं किया है। इस प्रकार संपूर्ण दस्तावेज से वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या एक की कतई पुश्तैनी मानी नहीं जा सकती, वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या एक के स्वयं की प्रथम सैटलमेन्ट से क्रयसुदा खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की भूमि है। विधि के सिद्धान्तों के अनुसार एक रेकोर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा कतई जारी नहीं की जा सकती। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

सुविधा का सन्तुलन

वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या एक की प्रथम सैटलमेन्ट से क्रयसुदा, खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की भूमि है तथा अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, मिसल बन्दोबस्त, खतौनी बन्दोबस्त एवं मिलान क्षेत्रफल आदि से स्पष्ट है कि मौके पर कब्जाकाश्त अप्रार्थी संख्या एक हरू उर्फ हरिया का बदस्तूर है। प्रार्थीगण नें ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया, जिससे कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त माना जा सके। मौखिक कथनों पर प्रार्थीगण का विश्वास नहीं किया जा सकता। जिससे सुविधा का सन्तुलन भी उक्त विवेचन अनुसार अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

अपूरणीय क्षति

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजस्व रिकॉर्ड से साबित है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या एक हरू उर्फ हरिया की प्रथम सैटलमेन्ट से ही क्रयसुदा व कब्जाकाश्त एवं खातेदारी की है, जो अप्रार्थी के नाम भूमि राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज है। जिसके अनुसार एक रेकोर्डेड खातेदार को अपनें हक से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि एक रेकोर्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को न होकर अप्रार्थी संख्या एक को होना [illegible] गण के पक्ष में नहीं बनता हैं।

इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण एवं विवेचन अनुसार [illegible] निषेधाज्ञा के कानूनी तीनों स्तम्भ प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में बनते हैं, जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र कानूनी पोषणीय नहीं होनें से खारिज योग्य [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.05.30 17:23:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उप खण्ड अधिकारी), सांचौर

Scanned with CamScanner

आदेश

अतः दिनांक 28.03.2011 को ग्राम चौरा के खेत खसरा नम्बर 569, 570, 571, 572, ग्राम भादरूणा के खेत खसरा नम्बर 1145, 1145/1918 एवं ग्राम मालवाड़ा के खेत खसरा नम्बर 126, 126/1037, 486, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 515, 516 कुल रकबा 11.71 हैक्टर की जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य नहीं होनें से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमिल फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

18/4/13

(रामकिशन सोनी)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 18/4/13 को मेरे द्वारा खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

18/4/13

(रामकिशन सोनी)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.05.30 17:23:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner